"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर 2015—आश्विन 10, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2012) अवर सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्रमांक/3079/एफ-8/78/NCIP/2015-16/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./13011/04/2004/Credit. II (Pt. 2) दिनांक 02-09-2015 के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) अंतर्गत पूर्व में जारी अधिसूचना क्र./1381/एफ-8/68/NAIS/2015/14-2 दिनांक 23-06-2015 के बिन्दु क्र. 7 में एतद्द्वारा संशोधन करते हुए अऋणी कृषकों हेतु फसल बीमा किये जाने की अंतिम तिथि 31-07-2015 से बढ़ाकर 15 सितम्बर, 2015 की जाती है.

2. भारत सरकार के पत्र क्र./13011/04/2004/Credit.II दिनांक 02-09-2015 में उपरोक्तानुसार अंतिम तिथि विस्तार हेतु दी गई शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावे. इस हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है. (परिशिष्ट-1).

3. अधिसूचना क्र. 1381 दिनांक 23-06-2015, क्र. 2328 दिनांक 30-07-2015, क्र. 2619 दिनांक 17-08-2015 एवं क्र. 2673 दिनांक 19-08-2015 में दर्शित अन्य शर्तें यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट-1

No. 13017/04/2014-Credit-II (Pt. 2)
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agri. & Cooperation

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 2nd September, 2015

To

Principal Secretary (Agri./Cooperation)/APC.
State Government of Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra,
Odisha, Telengana & West Bengal

Subject : National Agricultural Insurance Scheme (NAIS)-Extension of cut-off date for participation of non-farmers under NAIS during Kharif 2015-reg.

Sir,

I am directed to refer to the letters received from the State Government of Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Telengana & West Bengal on the subject mentioned above and to inform that the matter has been examined in consultation with the implementing agency i.e. Agriculture Insurance Company (AIC) of India Ltd.

It is informed that keeping in view of the prevailing climatic conditions of the State, particularly delay in sowing of the crops in the season, this Department has agreed to extend the cut-off date upto 15th September, 2015 for participation of non-loanee farmers under NAIS durig Kharif 2015, as a special case in the interest of farming community subject to the following conditions:

i. The extension would be applicable only to the crops sown during extended period i.e. 1st August, 2015 to 15th September, 2015.
ii. The condition of the crop concerned on the date of submission of proposal by the farmer to the bank/PACS should be normal and the same will have to be confirmed in the proposal form.
iii. Farmers should furnish the area sown certificate form to the appropriate authority along with the proposal form, which is to be kept in their record for future reference.
iv. The coverage during the extended period should be restricted upto Normal Coverage only i.e. upto value of Threshold Yield. No additional coverage beyond TY should be granted.

v. The cut off date for receipt of declaration by the AIC from the bank(s) in respect of coverage for extended period will be 30th September, 2015.

vi. State Government & AIC will provide wide publicity for coverage of farmers.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully
Sd/-
(Dr. Ashish Kumar Bhutani)
Joint Secretary (Credit & Coop.)
Tele: 011-23389208.

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्रमांक/3165/एफ-8/78/NCIP/2015/14-2.—खरीफ 2015 के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित अधिसूचनाओं के माध्यम से उनके समक्ष दर्शाये अनुसार फसलें अधिसूचित की गयी है :—

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	अधिसूचित फसलें
1.	क्रमांक-1381, दिनांक 23-06-2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग.
2.	क्रमांक-2328, दिनांक 30-07-2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द मूंग.
3.	क्रमांक-2619, दिनांक 17-08-2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग.
4.	क्रमांक-2673, दिनांक 19-08-2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर) उड़द, मूंग.
5.	क्रमांक-2875, दिनांक 25-08-2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग, धान सिंचित.
6.	क्रमांक-3079, दिनांक 03-09-2015	धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), उड़द, मूंग, धान सिंचित.

उक्त अधिसूचनाओं में अधिसूचित फसलों के लिए अऋणी कृषकों हेतु विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3079 दिनांक 03-09-2015 द्वारा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक-No-13017/04/2014-Credit-II (Pt. 2) दिनांक 02 सितंबर, 2015 में निहित शर्तों के अध्यधीन (परिशिष्ट-1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) के अंतर्गत फसल बीमा की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2015 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2015 की जाती है.

शेष शर्तें यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट-1

No. 13017/04/2014-Credit-II (Pt. 2)
Government of India, Ministry of Agriculture
Department of Agri. & Cooperation

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 2nd September, 2015

To

Principal Secretary (Agri./Cooperation)/APC.
State Government of Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra,
Odisha, Telengana & West Bengal

Subject : National Agricultural Insurance Scheme (NAIS)-Extension of cut-off date for participation of non-farmers under NAIS during Kharif 2015-reg.

Sir,

I am directed to refer to the letters received from the State Government of Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Telengana & West Bengal on the subject mentioned above and to inform that the matter has been examined in consultation with the implementing agency i.e. Agriculture Insurance Company (AIC) of India Ltd.

It is informed that keeping in view of the prevailing climatic conditions of the State, particularly delay in sowing of the crops in the season, this Department has agreed to extend the cut-off date upto 15th September, 2015 for participation of non-loanee farmers under NAIS durig Kharif 2015, as a special case in the interest of farming community subject to the following conditions:

i. The extension would be applicable only to the crops sown during extended period i.e. 1st August, 2015 to 15th September, 2015.
ii. The condition of the crop concerned on the date of submission of proposal by the farmer to the bank/PACS should be normal and the same will have to be confirmed in the proposal form.
iii. Farmers should furnish the area sown certificate form to the appropriate authority along with the proposal form, which is to be kept in their record for future reference.
iv. The coverage during the extended period should be restricted upto Normal Coverage only i.e. upto value of Threshold Yield. No additional coverage beyond TY should be granted.
v. The cut off date for receipt of declaration by the AIC from the bank(s) in respect of coverage for extended period will be 30th September, 2015.
vi. State Government & AIC will provide wide publicity for coverage of farmers.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully
Sd/-
(Dr. Ashish Kumar Bhutani)
Joint Secretary (Credit & Coop.)
Tele: 011-23389208.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 11th September 2015

No. 8926/2891/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Smt. Prateeksha Sharma W/o Shri Chandrashekhar Agrawal [Category-Unreserved (F) Merit No. 07] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 11th September 2015

No. 8928/3007/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Bhavesh Kumar Watti S/o Late Shri Ramcharan Watti (Category-Scheduled Tribe Merit No. 43) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 11th September 2015

No. 8930/3008/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Anand Kumar Singh S/o Shri Narendra Dev Singh (Category-Unreserved Merit No. 21) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 11th September 2015

No. 8932/2953/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Deepa Suchita Tirkey D/o Shri Fulgence Tirkey [Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 44] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 11th September 2015

No. 8934/3018/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Satyanand Prasad S/o Shri Kripasindhu (Category-Other Backward Classes Merit No. 30) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 11th September 2015

No. 8936/2941/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Smt. Kanchan Lata Achala W/o Shri R. P. Achala [Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 50] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

Naya Raipur, the 11th September 2015

No. 8938/3017/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Bhagwan Das Panika S/o Late Shri Mohit Das Panika (Category-Other Backward Classes Merit No. 35) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Naya Raipur, the 11th September 2015

No. 8940/2954/XXI-B/2015.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Anant Deep Tirkey S/o Shri D. Arvind Tirkey (Category-Scheduled Tribe Merit No. 37) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्रमांक/8965/506, 757/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्त श्री पंचानन गुप्ता, रायगढ़ (छ.ग.) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में ही शासन की ओर से पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक रायगढ़ के पद पर उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 15-09-2012 से पुन: 03 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 11th September 2015

No. L 2015-71-00380/Finance/Rule/IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh General Provident Fund Rules, namely :—

AMENDMENT

For Rule 4, the following Rule shall be substituted, namely :—

"4. (i) All temporary or permanent Government Servants, all re-employed pensioners (other than those eligible for admission to the contributory provident fund), with the exception of those who are on a contract, shall be eligible to subscribe to the Fund.

Note :— For the purpose of this Rule, an apprentice who receives stipend, shall not be a Government servant, while the probationer shall be Government servant.

(ii) These rules shall not apply to Government servants appointed on or after 1-11-2004, to services and posts in connection with the affairs of the State, either temporarily or permanently."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. CHAKRABORTY, Joint Secretary.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-11/2015/10/भा.व.से.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03-09-2015 द्वारा श्री एच. एल. रात्रे, भा.व.से. (1998) संचालक, वन विद्यालय, जगदलपुर को वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर पदस्थ किया गया है. राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एच. एल. रात्रे, भा.व.से. (1998) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वनमण्डलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री अमिताभ बाजपेयी (भा.व.से.) वनमण्डलाधिकारी, महासमुंद वनमण्डल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-283/22-1/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) का लोप किया जाये.

2. अनुसूची-चार के पश्चात् निम्नलिखित टीप जोड़ी जाये, अर्थात् :—

"**टीप :—** क. कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद हेतु केवल ऐसे सहायक अभियंता पात्र होंगे, जिनके पास कम से कम राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या मानचित्रकार (सिविल) में तीन वर्षीय डिप्लोमा हो.

ख. कार्यपालन अभियंता (विद्युत) के पद हेतु, केवल ऐसे सहायक अभियंता पात्र होंगे, जिनके पास कम से कम राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या मानचित्रकार (विद्युत) में तीन वर्षीय डिप्लोमा हो.

ग. केवल सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री धारण करने वाले कार्यपालन अभियंता ही, अधीक्षण अभियंता के पद या उससे ऊपर के पद हेतु पदोन्नति के लिये पात्र होंगे."

No. F 1-283/22-1/2013.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Rural Engineering, (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2014, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. Clause (f) of sub-rule (1) of Rule 8 shall be omitted.

2. After Schedule-IV, the following Note shall be added, namely :—

"**Note :—** A. For the post of Executive Engineer (Civil), only those Assistant Engineers will be eligible, who have at least a diploma of three years in Civil Engineering from any institute recognised by State Government or diploma of three years in draftsman (Civil).

B. For the post of Executive Engineer (Electricity), only those Assistant Engineers will be eligible who have at least a diploma for three years in electrical engineering from any institute recognised by State Government or diploma of three years in draftsman (Electricity).

C. Only those Executive Engineers holding degree in Civil Engineering will be eligible for promotion to the post of Superintendent Engineer or post above it."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-44/2014/32.—छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 6 (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार अर्हता विहित करता है :—

1. वह भारत का नागरिक हो.

2. उच्च न्यायिक सेवा का पद धारित करता हो अथवा उस पद से सेवानिवृत्त हुआ हो.

या

छत्तीसगढ़ शासन के सचिव स्तर का पद धारित करता हो अथवा उस पद से सेवानिवृत्त हुआ हो.

या

विधि में स्नातक के साथ-साथ न्यूनतम सात वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव हो.

3. आयु 65 वर्ष से अधिक न हो.

4. सदस्य की पदावधि तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक रहेगी.

5. नियुक्ति के लिए उस स्थिति में अपात्र होगा, यदि ऐसी जांच के बाद जैसे राज्य शासन आवश्यक समझे और राज्य शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि वह उक्त पद के लिए सभी दृष्टि से उपयुक्त न हो.

6. सदस्य की पदावधि किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते देते हुए समाप्त की जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2015

संशोधन

क्रमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन.—राज्य शासन, एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2014" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त नियम में,—

नियम 3 (ख) (4) आयु सीमा :— की तीसरी पंक्ति में "हो" के पश्चात् "किंतु 25 वर्ष से अधिक न हो" को विलोपित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	कालीपुर प.ह.नं. 03	9.194	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	लैगू व्यपवर्तन योजना के तहत मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	असगवां प.ह.नं. 14	11.133	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	मछली व्यपवर्तन योजना के तहत मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	तेलईधार प.ह.नं. 19	11.860	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	माण्ड व्यपवर्तन योजना के तहत मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	मुडेसा प.ह.नं. 11	0.245	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	मुडेसा श्याम परियोजना श्याम दायीं तट मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	छिन्दकालो प.ह.नं. 40	0.545	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) संभाग अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	दरिमा हवाई पट्टी के चौड़ीकरण कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कोटेया प.ह.नं. 39	1.753	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) संभाग अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	दरिमा हवाई पट्टी के चौड़ीकरण कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	नारायणपुर प.ह.नं. 14	0.533	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	नकटीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	दरिमा प.ह.नं. 39	13.957	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	दरिमा हवाई पट्टी के चौड़ीकरण कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	कठमुण्डा प.ह.नं. 14	0.996	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	नकटीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	ससकालो प.ह.नं. 15	0.080	कार्यपालन अभियंता, थर्मल पॉवर परियोजना अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	करेंया माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	पण्डरीडांड प.ह.नं. 14	0.538	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	नकटीनाला व्यपवर्तन (वियर एवं डूब) क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सोनपुरखुर्द प.ह.नं. 10	0.271	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम परियोजना श्याम बायीं तट मुख्य नहर अंतर्गत फतेहपुर वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	बतौली	चिरंगा प.ह.नं.03	3.435	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	लैगु व्यपवर्तन योजना के तहत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सुखरी प.ह.नं.20	0.308	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम परियोजना श्याम दायीं तट मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	ढोढ़ाकेसरा प.ह.नं. 31	3.151	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	नकटीनाला व्यपवर्तन (वियर एवं डूब) क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	महारानीपुर प.ह.नं. 21	0.336	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	महारानीपुर व्यपवर्तन योजना के तहत उप नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	मोतीपुर प.ह.नं. 41	2.096	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	दरिमा हवाई पट्टी के चौड़ीकरण कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	गोरता प.ह.नं. 28	3.594	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	चन्दई व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	पसेना प.ह.नं. 05	8.339	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	रीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	भरतपुर प.ह.नं. 28	1.698	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	चन्दई व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	कोसगा प.ह.नं. 20	4.824	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	चन्दई व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	सिरकोतगा प.ह.नं. 08	0.356	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम घुनघुट्टा परि-योजना के श्याम बायीं तट मुख्य नहर सिरकोतगा माइनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	बेलखरिखा प.ह.नं. 31	0.278	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	श्याम घुनघुट्टा परि-योजना के मुख्य बायीं तट नहर बेलखरिखा हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./18/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	पोड़ीकला प.ह.नं. 31	2.933	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	डुमरगड़ा व्यपवर्तन योजना का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./22/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कलगसा प.ह.नं. 38	21.254	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	घुनघुट्टा (श्याम) परि-योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./24/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	रनपुरकला प.ह.नं. 20	0.115	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	रनपुरकला रोड से सोनपुरखुर्द सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./34/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	कोयलारी प.ह.नं. 04	2.664	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-01, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप-नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पतरापाली प.ह.नं. 36	6.403	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	गोपालपुर प.ह.नं. 36	9.139	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरलिया प.ह.नं. 32	3.680	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रेगड़ा प.ह.नं. 31	16.180	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	विश्वनाथपाली प.ह.नं. 20	2.366	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	एकताल प.ह.नं. 08	20.709	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जुर्डा प.ह.नं. 38	16.189	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	टारपाली प.ह.नं. 36	24.936	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बड़माल प.ह.नं. 20	8.834	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सम्बलपुरी प.ह.नं. 31	3.983	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भिखारीमाल प.ह.नं. 40	8.960	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पण्डरीपानी प.ह.नं. 38	5.155	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	दनौट प.ह.नं. 32	0.782	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई–पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला–रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ–82/2014–15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतरलिया प.ह.नं. 40	23.307	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई–पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला–रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	चिटकाकानी प.ह.नं. 37	1.747	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	विजयपुर प.ह.नं. 30	0.200	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोईंग प.ह.नं. 40	6.734	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रेंगालपाली प.ह.नं. 38	2.967	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमपाली प.ह.नं. 08	6.766	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 59/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बेलादुला प.ह.नं. 29	0.133	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 60/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सकरबोगा प.ह.नं. 20	0.812	महाप्रबंधक, एनटीपीसी तलाई-पाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा, जिला-रायगढ़.	एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, 6 अगस्त 2015

क्रमांक 675/शोध/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जैजेपुर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उनकी एक प्रति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती, कार्यालय नगर पंचायत, जैजेपुर एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 27-06-2015 से कार्यालय समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है.

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम काशीगढ़, झकहाडीह, गलगलाडीह एवं ग्राम तुसार की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम तुसार एवं ओडेकेरा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम ओडेकेरा, गाड़ामोर, जर्वे, अरसिया एवं मुक्ता की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम मुक्ता, चोरभट्ठी एवं काशीगढ़ की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चाम्पा को सूचना छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो तो आयुक्त सह-संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-जांजगीर-चापा, छ.ग.
2. कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत जैजेपुर, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.
3. कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग.

No. 675/T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Jaijepur Planning Area has prepared under sub section (1) of Section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 27-06-2015 during office hour's of working day's in the office of the SDM (Revenue) Sakti, Office of the Nagar Panchayat, Jaijepur and Office of the Deputy Director, Town And Country Planning, Janjgir-Champa during office hours of working days. The limits of Jaijepur Planning Area detailed in schedule given below :

SCHEDULE

NORTH	:	Village Kashigarh, Jhakhadih, Galgaladih and Tusar upto the North limit.
EAST	:	Village Tusar and Odekera upto the East limit.
SOUTH	:	Village Odekera, Garhamor, Jarve, Arsiya and Mukta upto the South limit.
WEST	:	Village Mukta, Chorbhatthi and Kasigarh upto the West limit.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map, so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town And Country Planning, Janjgir-Champa (CG), within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Commissioner Cum-Director.

Inspection Site :—

1. Office of the SDM (Revenue) Sakti, Dist. Janjgir-Champa (C.G.)
2. Office of the Nagar Panchayat, Jaijepur, Dist.-Janjgir Champa (C.G.)
3. Office of the Assistant Director, Town And Country Planning, Dist.-Janjgir-Champa (C.G)

जांजगीर-चांपा, 6 अगस्त 2015

क्रमांक 678/शोध/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सारागांव निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उनकी एक प्रति कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाम्पा, कार्यालय नगर पंचायत, सारागांव एवं कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 30-06-2015 से कार्यालय समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है.

अनुसूची

उत्तर में	:	ग्राम कमरीद, जाटा, अमरूवा एवं दर्रा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम दर्री, नावागांव, रिसदा, परसापाली एवं चोरिया ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चोरिया, झर्रा एवं पचोरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम पचोरी, मुड़पार, अफरीद एवं कमरीद ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चाम्पा को सूचना छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो तो आयुक्त सह-संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चाम्पा, जिला-जांजगीर-चापा, छ.ग.
2. कार्यालय, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग.
3. कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग.

No. 678/T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Saragaon Planning Area has prepared under sub section (1) of Section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 30-06-2015 during office hour's of working day's in the office of the SDM (Revenue) Champa, Office of the Nagar Panchayat, Saragaon and Office of the Deputy Director, Town And Country Planning, Janjgir-Champa during office hours of working days. The limits of Saragaon Planning Area detailed in schedule given below :

SCHEDULE

NORTH	:	Village Kamrid, Jaata, Amarua and Darra upto the North limit.
EAST	:	Village Darra, Nawagaon, Risda, Parsapali and Choriya upto the East limit.
SOUTH	:	Village Choriya, Jharra and Pachori upto the South limit.
WEST	:	Village Pachori, Murpar, Afrid and Kamrid upto the West limit.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map, so prepared it should be sent in writing to the Deputy Directior, Town And Country Planning, Janjgir-Champa (CG) within a period of thirty days from the date of publication of the notice in “Chhattisgarh Gazette”.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Commissioner Cum-Director.

Inspection Site :—

1. Office of the SDM (Revenue) Champa, Dist. Janjgir-Champa (C.G.)
2. Office of the Nagar Panchayat, Saragaon, Dist.-Janjgir Chamapa (C.G.)
3. Office of the Assistant Director, Town And Country Planning, Dist.-Janjgir-Champa (C.G)

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.

कांकेर, दिनांक 11 अगस्त 2015

क्रमांक/901/नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अंतागढ़ निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कार्यालय (प्रदर्शनी स्थल) अंतागढ़, कार्यालय, कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर एवं कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर में दिनांक 13-08-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. अंतागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमायें निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

अंतागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम ईमलीपदर एवं हिमोड़ा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम हिमोड़ा, अंतागढ़ एवं कलगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कलगांव एवं कुहचे ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कुहचे एवं ईमलीपदर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भू उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस प्रकार सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के समयावधि के भीतर लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर को प्रस्तुत किया जाना चाहिये.

भूमि के वर्तमान भू उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 901/T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use map for the Antagarh Planning Area has been prepared under section 15 sub section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 13-08-2015 during office hours in the office of Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat (Exhibition Venue) Antagarh, office of the Collector, North Bastar, Kanker and office of Assistant Director, Town & Counry Planning Kanker. The limit of the Antagarh Planning Area is defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Antagarh Planning Area

NORTH	:	Village Imlipadar and Himoda up to Northern limit of Village.
EAST	:	Himoda, Antagarh and Kalgaon up to the Eastern limit of Village.
SOUTH	:	Village Kalgaon and Kuhche up to Southern limit of Village.
WEST	:	Village Kuhche and Imlipadar up to the Western limit of Village.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Kanker within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the periood specified above will be considered by the Director.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जशपुर (छ.ग.)

जशपुर नगर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्रमांक 516/नग्रानि/कुनकुरी वि.यो./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुनकुरी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी

मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

कुनकुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम रेमते, गीनाबहार, बेमताटोली एवं ग्राम कंडोरा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कंडोरा पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कंडोरा, घुमाडाड, कुनकुरी, गड़ाकाटा एवं ग्राम पण्डरीपानी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम पण्डरीपानी, रेमते एवं ग्राम गीनाबहार की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत, कुनकुरी, जशपुर (छ.ग.)

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष, बायलर अटेंडेंट्स परीक्षक मंडल
जी. ई. रोड, आमापारा पोस्ट-विवेकानंद आश्रम, रायपुर छ.ग.

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2015

क्रमांक मुनिवा/रिजल्ट/2959/2015.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर (अटेंडेंट्स) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु रायपुर में दिनांक 25 मई 2015 से 27 मई 2015 को परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

प्रमाण पत्र क्रमांक (1)	अनु. क्रमांक (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)
795	1	श्री नागेन्द्र कुमार साहू	श्री घसिया राम साहू
796	5	श्री हुलस चन्द	श्री आनन्द राम
797	7	श्री सत्येन्द्र कुमार साहू	श्री शत्रुहन प्रसाद साहू
798	8	श्री विशम्भर चौहान	श्री सोहन लाल चौहान
799	9	श्री नरेश सिंह	श्री मोती सिंह
800	13	श्री जगदीश प्रसाद	श्री राम दुलारी
801	14	श्री नवल सिंह	श्री रमैया सिंह
802	15	श्री दिनेश शर्मा	श्री गिरधारी शर्मा
803	16	श्री यशपाल दास	श्री रूपचंद दास
804	19	श्री बसंत कुमार पटेल	श्री गोपी राम पटेल
805	21	श्री रमा शंकर शुक्ला	स्व. श्री दिनदयाल शुक्ला
806	28	श्री संतोष कुमार कश्यप	श्री ईश्वरी प्रसाद कश्यप
807	29	श्री विनोद कुमार सहनी	श्री सुबलाल सहनी

(1)	(2)	(3)	(4)
808	30	श्री मोहन मुरारी श्रीवास	श्री शिवाजी श्रीवास
809	33	श्री सरोवर प्रसाद गुप्ता	श्री धनी राम गुप्ता
810	34	श्री नरेश कुमार निषाद	श्री विजय कुमार निषाद
811	36	श्री संतोष कर्ष	श्री पुनी राम कर्ष
812	41	श्री बलराम पटनायक	स्व. श्री लिंग राज पटनायक
813	44	श्री संजय कुमार सिंह क्षत्री	स्व. उजागर सिंह क्षत्री
814	45	श्री हरि सिंह बैस	स्व. श्री उजागर सिंह बैस
815	46	श्री महादेव राज पटनायक	श्री माणिक चन्द्र पटनायक
816	47	श्री राहुल मिश्रा	स्व. श्री मुंद्रिका मिश्रा
817	48	श्री अनिल कुमार शर्मा	श्री विशराम शर्मा
818	53	श्री राजेश पटेल	श्री बसंत कुमार पटेल
819	56	श्री सुन्दल लाल पटेल	श्री सुरजमल पटेल
820	57	श्री कन्हैया लाल	श्री शिवचरण लाल
821	59	श्री योगेश कुमार देवांगन	श्री दयाराम देवांगन
822	63	श्री वैभव कुमार गुप्ता	श्री निराकार गुप्ता
823	73	श्री सुभाष प्रसाद यादव	श्री हीरा प्रसाद यादव
824	74	श्री हेमन्त कुमार	श्री अमृत लाल
825	80	श्री जितेन्द्र मालाकार	श्री गौरंग मालाकार
826	86	श्री कृष्णनेदु बाला	श्री सुभाषचंद्र बाला
827	88	श्री सुदीप्ता डे	श्री राम प्रसाद डे
828	94	श्री चन्द्र प्रकाश ध्रुव	श्री चैतराम ध्रुव
829	99	श्री लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी	श्री बोधी राम सूर्यवंशी
830	100	श्री जितेन्द्र मोहंती	श्री दुर्योधन मोहंती
831	103	श्री नरेश कुमार गुप्ता	श्री साधु राम गुप्ता
832	104	श्री संजय कुमार प्रधान	श्री हिन्द किशोर प्रधान
833	105	श्री लुकेश्वर प्रसाद भार्गव	श्री धजाराम भार्गव
834	106	श्री सुरेश कुमार चौहान	श्री अंतराम चौहान
835	110	श्री विश्वनाथ पटेल	श्री हेतराम पटेल
836	112	श्री लहुरमन प्रसाद साहू	श्री कामता प्रसाद साहू
837	117	श्री तरस लाल साहू	श्री समारू राम साहू
838	124	श्री सुधीर कुमार साहू	श्री ध्रुव चरण साहू
839	129	श्री राज कुमार वर्मा	श्री भुरवा राम
840	130	श्री खगेश कुमार सिंह	श्री आनंदी चरण सिंह
841	132	श्री भूषण सिंह नर्मदा	श्री खिमत सिंह नर्मदा
842	133	श्री राजेश कुमार कौशिक	श्री लखन लाल
843	134	श्री सोमेश्वर भोयर	श्री मधुकर भोयर
844	42	श्री तोरण दास महंत	श्री नोहर दास महंत
845	54	श्री कमलेश्वर मानिकपुरी	श्री भागीरथी मानिकपुरी
846	158	श्री कमल प्रसाद दिवाकर	स्व. श्री भानु प्रसाद
847	160	श्री सुनील कुमार अवस्थी	श्री शिव कुमार अवस्थी
848	165	श्री इजामामुल हक	श्री अली राजा
849	169	श्री अशोक कुमार यादव	श्री कपील देव
850	171	श्री बिरेन्द्र कुमार साहू	श्री सहदेव राम साहू
851	172	श्री गिरधन पटेल	श्री रामसाय पटेल
852	173	श्री उमेश कुमार यदु	श्री महेश यदु
853	175	श्री करण सिंह गायकवाड़	श्री असंत राम गायकवाड़
854	177	श्री पीनीसेट्टी रामु	श्री पीनी सेट्टी अप्पडु

(1)	(2)	(3)	(4)
855	179	श्री प्रवीण मिश्रा	श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा
856	186	श्री उत्तम राणा	श्री देवेन्द्र राणा
857	187	श्री राकेश कुमार भारती	श्री कुंजु राम भारती
858	189	श्री संजय वर्मा	श्री प्रेमलाल वर्मा
859	190	श्री गौतम राणा	श्री देवेन राणा
860	191	श्री जनक राम निर्मलकर	श्री खेलावन निर्मलकर
861	192	श्री केजनाथ	श्री दानी राम
862	197	श्री अशोक कुमार मिश्रा	श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा
863	198	श्री प्रेम लाल साहू	श्री छेरकू राम
864	199	श्री राजू लाल देवांगन	श्री हेमन्त कुमार देवांगन
865	200	श्री रितेश सिंह राजपूत	श्री कुमार सिंह राजपूत
866	201	श्री अंकित कुमार वर्मा	श्री मन्नू लाल वर्मा
867	204	श्री भीषम साहू	श्री धनेश राम साहू
868	205	श्री नंदलाल	श्री बुधरू राम
869	206	श्री रविन्द्र कुमार साहू	श्री रतिराम साहू
870	207	श्री दिलीप कुमार साहू	श्री सुन्दर लाल साहू
871	211	श्री लुकेश्वर कुमार साहू	श्री टिकुराम साहू
872	216	श्री पंकज कुमार	श्री सत्यदेव पाण्डेय
873	217	श्री धर्मेन्द्र कुमार गुलेरी	श्री फेकन राम गुलेरी
874	218	श्री रितेश कुमार	श्री विनय ठाकुर
875	219	श्री डी. अजय कुमार	श्री डी. गोविंद राव
876	221	श्री विद्याशंकर पाण्डेय	श्री भरत लाल पाण्डेय
877	223	श्री इकबाल सिंह	स्व. श्री तरसेम सिंह
878	226	श्री दीपक कुमार यादव	श्री रामानंद यादव
879	228	श्री धनेंद्र कश्यप	श्री वेदराम कश्यप
880	237	श्री कैलाश कुमार	श्री खेदू राम
881	239	श्री हेमचन्द	श्री तुला राम
882	243	श्री शरद कुमार वर्मा	श्री शर्मा लाल वर्मा
883	244	श्री फूलचंद्र	श्री राम स्वारूप
884	245	श्री देशराज	स्व. श्री रामबहोरी
885	250	श्री अशोक कुमार	श्री प्रमेन्द्र कुमार
886	253	श्री सूरज कुमार भट्ट	श्री साधू राम भट्ट
887	254	श्री कोमल प्रसाद साहू	श्री रेखराम साहू
888	255	श्री विजेश कुमार	श्री भगत सिंह
889	256	श्री डागेश्वर प्रसाद	श्री वेदराम
890	258	श्री इरेन्द्र कुमार यादव	श्री शिव कुमार यादव
891	259	श्री रविकंश तिवारी	श्री मारकण्डेय तिवारी
892	260	श्री सुमित कुमार सिंह	श्री प्रेम प्रकाश सिंह
893	261	श्री रणजीत वर्मा	श्री रामनारायण वर्मा
894	263	श्री महेन्द्र कुमार	श्री पन्नालाल
895	264	श्री अजय कुमार	श्री नत्थेलाल
896	267	श्री भगवती प्रसाद	श्री चंदूलाल
897	270	श्री धनेश्वर प्रसाद देवांगन	श्री सरजू राम देवांगन
898	271	श्री शिव कुमार	श्री बालिस राम
899	272	श्री थानेश्वर प्रसाद कश्यप	श्री रामेयवर कश्यप
900	274	श्री शारदा प्रसाद निर्मलकर	श्री रामू लाल निर्मलकर
901	275	श्री इंदल कुमार कराहे	श्री जालम कराहे

(1)	(2)	(3)	(4)
902	276	श्री भोपेन्द्र कुमार साहू	श्री छकब लाल साहू
903	277	श्री महेन्द्र कुमार साहू	श्री मूरित राम साहू
904	278	श्री विकास जायसवाल	श्री दुलीचंद जायसवाल
905	279	श्री विनोद कुमार वर्मा	श्री डेमार वर्मा
906	280	श्री रवि कुमार	श्री राम सेउक
907	281	श्री पुरूषोत्तम कुमार वर्मा	श्री लिखन राम वर्मा
908	283	श्री पंकज	श्री नरोत्तम निषाद
909	284	श्री पंकज कुमार वर्मा	श्री रोहित कुमार वर्मा
910	285	श्री आनंद कुमार शर्मा	श्री रामशरण शर्मा
911	286	श्री गेड्डी भास्कर राव	श्री सूर्यनारायणा
912	287	श्री प्रशांत गुप्ता	श्री राजाराम गुप्ता
913	288	श्री समय लाल निषाद	श्री मेहत्तर राम निषाद
914	289	श्री सनत कुमार साहू	श्री उधोराम साहू
915	290	श्री चुलबुल राम	श्री भगत राम
916	298	श्री उमा शंकर वर्मा	श्री भय्यालाल वर्मा
917	299	श्री राहुल कुमार यादव	श्री राधा कृष्ण यादव
918	195	श्री विरेन्द्र कुमार प्रसाद	श्री काशीनाथ
919	230	श्री अनिल यादव	श्री राममन यादव
920	304	श्री भूषण	श्री बुधारू
921	305	श्री कुंदन कुमार सिंह	श्री सुरेश्वर सिंह
922	306	श्री चित्रसेन साहू	श्री रामावतार साहू
923	311	श्री दानी राम ध्रुव	श्री शोभित राम ध्रुव
924	312	श्री अशोक कुमार वर्मा	श्री रमेश कुमार वर्मा
925	313	श्री ईश्वर लसल साहू	श्री फत्ते लाल साहू
926	315	श्री जितेन्द्र नवरंगे	श्री बिजुल दास नवरंगे
927	317	श्री अमित माहुले	श्री शिव दत्त माहुले
928	319	श्री रूपेश कुमार सिंह	श्री महेश प्रसाद सिंह
929	321	श्री रामामूर्ति पाप्पाला	श्री कृष्णामूर्ति
930	324	श्री विजय कुमार गोस्वामी	श्री विश्वनाथ
931	326	श्री संतोष कुमार वर्मा	श्री नंद कुमार वर्मा
932	327	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	श्री नंद कुमार वर्मा
933	329	श्री टुकेश्वर चंद्राकर	स्व. शत्रुघन लाल चंद्राकर
934	332	श्री पीलेश्वर कुमार	श्री डोमर सिंह
935	333	श्री मूकबूल अहमद	श्री सैफुल हक
936	334	श्री मुकेश प्रसाद मिश्रा	श्री तीरथ प्रसाद मिश्रा
937	336	श्री राम बाबू सिंह	श्री इंद्र देव सिंह
938	337	श्री रूपनारायण सिन्हा	श्री भीखम सिंह सिन्हा
939	339	श्री ललित कुमार	श्री परदेसिया राम
940	340	श्री राजेश डे	श्री सैलेन डे
941	341	श्री राकेश चन्द्र मौर्य	श्री सालिक राम मौर्य
942	342	श्री हरीश कुमार	श्री शारदा प्रसाद
943	343	श्री गजानंद साहू	श्री कुमार साहू
944	344	श्री सन्नी कुमार सोनी	श्री खिलेश्वर प्रसाद सोनी
945	346	श्री दुष्यंत जायसवाल	श्री तामेश्वर जायसवाल
946	348	श्री रूपेश कुमार	श्री जनक राम
947	349	श्री भगवत प्रसाद	श्री खुबीराम

(1)	(2)	(3)	(4)
948	350	श्री चंदन सिंग मांझी	श्री जय सिंग मांझी
949	352	श्री विजय कुमार चौरसिया	श्री नारायण प्रसाद चौरसिया
950	354	श्री सुशील सिंह चंदेल	श्री लक्ष्मण सिंह चंदेल
951	356	श्री राकेश साहू	श्री जागेश्वर साहू
952	357	श्री अर्जन लाल वर्मा	श्री गोविन्द प्रसाद वर्मा
953	358	श्री रवि प्रताप सिंह	श्री जय नारायण
954	359	श्री शैलेन्द्र कुमार पटेल	श्री सेवा राम पटेल
955	362	श्री अरविंद कुमार	श्री भागीरथी वर्मा

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2015

क्रमांक मुनिवा/रिजल्ट/2959/2015.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी बायलर परिचर (अटेंडेंट्स) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु रायपुर में दिनांक 28 मई 2015 से 30 मई 2015 को परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

प्रमाण पत्र क्रमांक (1)	अनु. क्रमांक (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)
324	5	श्री शंकर लाल कैवर्त	श्री गुहा राम कैवर्त
325	7	श्री सरयू प्रसाद बेहरा	श्री विष्णु बेहरा
326	8	श्री राम चन्द्र शुक्ला	श्री संतोष कुमार शुक्ला
327	13	श्री मनीष सिंह ठाकुर	श्री केशव सिंह
328	16	श्री प्रमोद कुमार	स्व. श्री मुखरू राम
329	24	श्री सुनील कुमार आचार्य	श्री बिनायक आचार्य
330	26	श्री मदन लाल प्रधान	श्री लोकनाथ प्रधान
331	35	श्री प्रफुल्लन कुमार साहू	श्री भुषण लाल साहू
332	36	श्री अनिल कुमार गोड़	श्री दीपचन्द गोड़
333	37	श्री सुरेश कुमार कुर्रे	श्री कुठुल राम कुर्रे
334	40	श्री राजू बहिदार	श्री शंकर बहिदार
335	41	श्री सुधांशु शेखर साहू	श्री डिलेश्वर साहू
336	43	श्री तापस डे	श्री शैलेन्द्र नाथ डे
337	50	श्री शान्तनु कुमार साहू	श्री ध्रुव चरण साहू
338	60	श्री चितरंजन परिडा	श्री भगवान चन्द्र परिडा
339	62	श्री अमीर चंद वर्मा	श्री बंशी लाल वर्मा
340	64	श्री जीवन लाल चौधरी	श्री रूपसिंह चौधरी
341	66	श्री भुपेन्द्र कुमार बरेठ	श्री रामायण बरेठ
342	68	श्री सुरेन्द्र कुमार गहवई	श्री भागवत प्रसाद गहवई
343	69	श्री सत्येन्द्र गोपाल	स्व. श्री रमेश प्रसाद गोपाल
344	70	श्री खिलेन्द्र कुमार सोनी	श्री राम कुमार सोनी
345	72	श्री संजय कुमार जायसवाल	स्व. श्री भागीरथी जायसवाल
346	73	श्री लल्लु सिंह	श्री मन्नु सिंह
347	74	श्री शंकर चक्रवर्ती	श्री के एल चक्रवर्ती
348	77	श्री चतुर सिंग सिदार	श्री बलीराम सिदार
349	80	श्री दूजराम धीवर	श्री बालाराम धीवर
350	82	श्री योगेश ऋषि गिरड़कर	श्री विठोबाजी गिरड़कर

(1)	(2)	(3)	(4)
351	305	श्री चंद्रमा कुमार शर्मा	श्री विश्वनाथ शर्मा
352	75	श्री त्रिलोकीनाथ तंबोली	स्व. श्री शिव कुमार तंबोली
353	86	श्री उत्तम कुमार पटेल	श्री जैतराम पटेल
354	88	श्री घनश्याम प्रसाद साहू	श्री बी आर साहू
355	90	श्री राजेश कुमार देवांगन	श्री दयाराम देवांगन
356	91	श्री नरेन्द्र कुमार मानकर	श्री जग्गु जी मानकर
357	92	श्री गजानंद साहू	श्री चोवाराम साहू
358	97	श्री योगश कुमार डनसेना	श्री हरनारायण डनसेना
359	98	श्री प्रदीप कुमार पटेल	श्री जगदीश प्रसाद पटेल
360	109	श्री संदीप कुमार पण्डा	स्व. श्री सुबल कुमार पण्डा
361	110	श्री श्याम चरण साहू	श्री रामखिलावन साहू
362	112	श्री संतोष कुमार डनसेना	श्री ललित कुमार डनसेना
363	114	श्री विनीत कुमार मिश्रा	श्री बलदेव प्रसाद मिश्रा
364	123	श्री सोम प्रकाश निर्मलकर	श्री बोधराम निर्मलकर
365	124	श्री टोपीधर पटेल	श्री मन्नू लाल पटेल
366	125	श्री सुनील कुमार गोड़	श्री सन्तु राम गोड़
367	126	श्री राकेश कुमार गहवई	श्री बाला राम गहवई
368	130	श्री विजय लहरे	श्री राम लाल लहरे
369	134	श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी	श्री प्रेमनाथ तिवारी
370	138	श्री बिक्रम किशोर दास	श्री हरे कृष्ण दास
371	141	श्री रमेश कुमार	श्री विश्वनाथ मौर्या
372	143	श्री किशोर कुमार डनसेना	श्री रेवत लाल डनसेना
373	144	श्री पवन कुमार	श्री पुनीतराम
374	145	श्री राजू लाल वर्मा	श्री दयालू राम वर्मा
375	147	श्री बिमल खलखो	श्री मिखाएल खलखो
376	148	श्री विजय कुमार कुर्रे	श्री गोकुल प्रसाद कुर्रे
377	150	श्री दुर्गा शंकर	श्री राम समुझ यादव
378	153	श्री अमित कुमार गुप्ता	श्री विनय कुमार गुप्ता
379	155	श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास	स्व. श्री सुद्धू राम श्रीवास
380	156	श्री प्रवीण पाण्डेय	श्री रमेश चंद पाण्डेय
381	160	श्री बिरेन्द्र कुमार जायसवाल	श्री रामगोपाल जायसवाल
382	161	श्री कृष्ण कुमार जायसवाल	श्री सियाराम जायसवाल
383	163	श्री रघुवीर शरण विश्वकर्मा	श्री चौथी विश्वकर्मा
384	164	श्री रघुनंदन प्रसाद	श्री प्रभुदयाल
385	165	श्री नवीन पटेल	स्व. श्री नरहरि पटेल
386	166	श्री राजेश कुमार पटेल	श्री अंशवीर दास
387	171	श्री पूर्णचंद डनसेना	श्री विनोद डनसेना
388	180	श्री संजय कुमार राउत	श्री गोपी बंधु राउत
389	184	श्री लोचन प्रसाद दुबे	श्री द्वारिका प्रसाद दुबे
390	185	श्री परशु राम पटेल	स्व. सुरेश माली पटेल
391	186	श्री चिनमय प्रसाद साहू	श्री राहस बिहारी साहू
392	187	श्री रोहित कुमार पटेल	श्री सहस राम पटेल
393	188	श्री दीपक कुमार केंवट	श्री दरस राम केंवट
394	193	श्री रविंद्र ठांकर खोब्रागड़े	श्री शंकर विश्वनाथ खोब्रागड़े
395	199	श्री पन्ना लाल वर्मा	श्री विश्राम सिंह वर्मा
396	206	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	श्री राधेश्याम वर्मा
397	211	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह	श्री विशेश्वर सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)
398	213	श्री रविन्द्र कुमार महंत	स्व. श्री रूपदास महंत
399	214	विशाल बिसेन	श्री मिश्रीलाल बिसेन
400	218	श्री गौकरण देवांगन	श्री विजय राम देवांगन
401	222	श्री नोहर लाल साहू	श्री दौलत राम साहू
402	223	श्री हितेश कुमार साहू	श्री इंदल राम साहू
403	224	श्री डिलेश्वर प्रसाद कोष्टा	श्री यदू कुमार कोष्टा
404	228	श्री मुकेश कुमार मिश्रा	श्री राम गोपाल मिश्रा
405	233	श्री कमलेश कुमार देशमुख	श्री उमेंद सिंह देशमुख
406	235	श्री निमेश कुमार	श्री केदार राम
407	237	श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय	श्री हृदय नाथ पाण्डेय
408	238	श्री भीषम लाल	श्री तुलसी राम
409	239	श्री चंद्र शेखर	श्री सुमान सिंग
410	240	श्री टिकेश्वर कुमार चन्द्राकर	श्री सेवाराम चन्द्राकर
411	242	श्री गोपाल यादव	श्री छन्नू लाल यादव
412	243	श्री ओम प्रकाश साहू	श्री होरी लाल साहू
413	244	श्री राजेन्द्र कुमार डिन्डेकर	श्री रामजीवन डिन्डेकर
414	245	श्री कासिना सुरेश	श्री पेन्टी राजु
415	246	श्री ऋषि कुमार	श्री नारायण सिंह
416	247	श्री राजकुमार देशमुख	श्री कुलदीप नारायण देशमुख
417	248	श्री चंद्रशेखर वर्मा	श्री बिष्णु वर्मा
418	249	श्री खेमलाल साहू	श्री ठाकुर राम साहू
419	250	श्री दुकालू राम धीवर	श्री कोदु राम धीवर
420	251	श्री सुनील कुमार	श्री दंगल प्रसाद
421	252	श्री सागर चंद्राकर	स्व. चमन लाल चंद्राकर
422	253	श्री राजेश	श्री टिकाराम
423	254	श्री अश्वनी कुमार	श्री मन्नू लाल
424	255	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	स्व. साहेब लाल तिवारी
425	256	श्री रवेन्द्र कुमार शर्मा	श्री अंगल लाल वर्मा
426	257	श्री हरी राम	स्व. मकानू
427	258	श्री लक्ष्मीनारायण यादव	स्व. सोनाउ राम यादव
428	263	श्री दुष्यंत कुमार साहू	श्री रामेश्वर प्रसाद साहू
429	264	श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा	श्री बिसहत राम वर्मा
430	269	श्री महेश कुमार वर्मा	श्री छेदूराम वर्मा
431	272	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा	श्री ध्रुव कुमार मिश्रा
432	274	श्री भूषण लाल साहू	श्री खेदूराम साहू
433	276	श्री गजेन्द्र कुमार वर्मा	श्री लक्ष्मणलाल वर्मा
434	277	श्री विकास कुमार पटेल	श्री ज्ञानचंद पटेल
435	278	श्री राकेश शर्मा	स्व. जय कुमार शर्मा
436	284	श्री खोमलाल देवांगन	श्री परदेशी राम देवांगन
437	286	श्री रामजी नागे महानंद	श्री नागे महानंद
438	290	श्री रामेश्वर वर्मा	श्री भगवानी वर्मा
439	294	श्री राजकुमार	श्री रामचन्द्र कामले
440	295	श्री भंवर लाल कन्नौजे	श्री खोरबहरा राम
441	296	श्री तरूण कुमार निषाद	स्व. बिसौहाराम निषाद
442	299	श्री रजनीश नागपूरे	श्री छगनलाल
443	302	श्री नंद कुमार पाल	श्री रत्ती राम पाल
444	303	श्री कृष्ण कुमार साहू	श्री संतु राम साहू

(1)	(2)	(3)	(4)
445	306	श्री रेखराम विश्वकर्मा	श्री तुलसर राम विश्वकर्मा
446	307	श्री गगन बिहारी साहू	श्री जगजीवन साहू
447	310	श्री झंगलू राम निर्मलकर	स्व. महेश प्रसाद
448	311	श्री रामनारायण गुप्ता	स्व. मुन्शी गुप्ता
449	313	श्री दिनेश कुमार साहू	श्री बिसौहा राम साहू
450	314	श्री ललित कुमार उपवंशी	श्री प्रभुलाल उपवंशी
451	315	श्री मनीष कुमार	श्री गणेश घेरमाडे
452	319	श्री विनोद कुमार	श्री धनुष प्रसाद
453	322	श्री भूतेली रावत	श्री बनारसी रावत
454	323	श्री देवी प्रसाद सिंह	श्री गया प्रसाद सिंह
455	330	श्री कमल नारायण चंद्राकर	श्री रामाधर चंद्राकर
456	333	श्री लालटुन यादव	श्री अमरऐव यादव
457	337	श्री देवेन्द्र कुमार शिवारे	श्री हरि राम शिवारे
458	340	श्री अनूप कुमार घंटा	श्री निर्मल कुमार
459	342	श्री उदय कुमार	श्री रामप्रवीण सिंह
460	343	श्री जीवन लाल पटेल	श्री सोनसाय पटेल
461	344	श्री बृंदावन दाश	श्री दैत्यारी दाश
462	345	श्री जगदीश एस गायकवाड	श्री श्रवण गायकवाड
463	346	श्री विजय कुमार प्रजापति	श्री बैशखू राम
464	352	श्री अनिल रजक	स्व. भुनेश्वर रजक
465	359	श्री मनीष कुमार वर्मा	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा
466	364	श्री देवेन्द्र कुमार पटेल	श्री विश्वनाथ प्रसाद पटेल
467	366	श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू	स्व. हीरा सिंह साहू
468	369	श्री देवकुमार साहू	श्री सुखी राम साहू
469	371	श्री भुनेश्वर प्रसाद वर्मा	श्री मुरली राम
470	372	श्री सुनील कुमार यदु	श्री नोहर लाल यदु
471	374	श्री कमालूद्दीन शेख	श्री तसलीम शेख
472	377	श्री केशव कुमार यादव	श्री बरन सिंह यादव
473	379	श्री उमाशंकर वर्मा	श्री मन्नू लाल वर्मा
474	380	श्री समिधापुड़ी टी.जी.जी. राव	श्री प्रसाद राव
475	381	श्री विपत राम निषाद	श्री नारायण प्रसाद निषाद
476	382	श्री खुबी राम वर्मा	श्री सुखी राम वर्मा
477	383	श्री दुलीचंद साहू	श्री बिशल राम साहू
478	386	श्री भीमसेन बारला	श्री जार्ज बारला
479	388	श्री नरेन्द्र कुमार	श्री गणेश राम
480	390	श्री ई. मुरली मोहन	श्री ई. लोकनाथ
481	392	श्री निम्मला शिवाराम	श्री निम्मला सीतारमैया
482	394	श्री सूरज कुमार साहू	श्री मेहत्तर राम साहू
483	395	श्री बृजभूषण बघेल	श्री बलि राम बघेल
484	396	श्री नागेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	श्री गंगा प्रसाद चतुर्वेदी
485	398	श्री कृष्ण प्रकाश जी.वी.	स्व. सुब्रमन्यम
486	400	श्री द्रोन कुमार साहू	श्री पुनीत राम
487	404	श्री नेहरू लाल	श्री बिसहत राम
488	414	श्री शेषनारायण साहू	श्री जगन्नाथ साहू
489	415	श्री राजेश कुमार वर्मा	श्री तेजराम वर्मा
490	416	श्री नन्द जी शर्मा	श्री दिनेशचंद्र शर्मा
491	417	श्री बेदराम	श्री तिरिथ राम

(1)	(2)	(3)	(4)
492	418	श्री मनोज कुमार खुंटे	श्री गुहाराम खुंटे
493	419	श्री रौशन कुमार सिंह	श्री नंद किशोर सिंह
494	420	श्री कानाई लाल सरकार	श्री नीरेन्द्र नाथ सरकार
495	421	श्री सोहन कुमार मिश्रा	श्री भगवान मिश्रा
496	425	श्री सत्य प्रकाश	श्री दुखित राम बघेल
497	427	श्री अमित कुमार देवांगन	श्री ललित कुमार देवांगन
498	429	श्री टिकाराम पटेल	श्री शत्रुहन पटेल

फणीन्द्र कुमार भोई,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th September 2015

No. 653/Confdl./2015/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Rakesh Bihari Ghore, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Central Project Coordinator, E-Courts Mission Mode Project is appointed as Registrar (Computerisation) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office. He shall continue to function as Central Project Coordinator, E-Courts Mission Mode Project until further orders.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्रमांक 143/दो-2-7/2013.—श्री सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, महासमुन्द वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-07-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.